

कार्यालय जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) सह उपायुक्त, धनबाद।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2015-भोजन अल्पाहार एवं विडियो ग्राफी, प्रोजेक्टर आपूर्ति के लिए अल्पकालीन निविदा

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2015 के निमित्त गठित विभिन्न कोषांगों, बज्रगृह एवं मतगणना हॉल परिसर में भोजन अल्पाहार एवं विडियो ग्राफी, प्रोजेक्टर आपूर्ति किया जाता है। इस कार्य हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निम्न शर्तों के अधीन 28.09.2015 को 03.00 बजे अपराहन तक अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उक्त तिथि को ही जिला क्रय समिति के समक्ष अपराहन 04.00 बजे समाहरणालय सभाकक्ष, धनबाद में खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता को स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। कार्य जिसकी निविदा आमंत्रित की जा रही है की विवरणी एवं शर्त निम्नवत है:-

क्र० सं०	अल्पाहार सामग्री / चाय / कॉफी / पेयजल प्रति पैकेट	दर	क्र० सं०	भोजन सामग्री	दर
1	नास्ता प्रति पैकेट		1	वेज भोजन / पैकेट	
1	वेज सेंडवीच 01 पीस + टिप कचौड़ी / समोसा 01 पीस + ढोकला 01 पीस + राजभोग मिठाई(बड़ा) 01 पीस		1	चवल 1/2 प्लेट + प्लेन नान-1 पीस + दाल-1/2 प्लेट + सब्जी (आलू+हरी सब्जी) 1/2 प्लेट+मिक्स सब्जी 1/2 प्लेट + सादा रसगुल्ला-1 पीस+ सलाद-1/2 प्लेट	
2	चाय प्रति कप		2	नॉनवेज भोजन प्रति पैकेट	
3	कॉफी प्रति कप		I	चवल 1/2 प्लेट + नान-1 पीस + दाल -1/2 प्लेट + चिकेन- 2पीस	
4	पानी - 1(एक) लीटर प्रति बोतल (Aquafina/Bislert)		II	चवल 1/2 प्लेट + नान-1 पीस + दाल-1/2 प्लेट + मटन-2 पीस	
			III	चवल 1/2 प्लेट + नान-1 पीस + दाल-1/2 प्लेट + मछली-2 पीस	
5	विडियो ग्राफी में / कैमरा / दिन ऑपरेटर के साथ				
6	प्रती प्रोजेक्टर / दिन / ऑपरेटर के साथ				

निविदा की शर्त:-

1. निविदादाता, निविदा द्विलिफाफा पद्धति (Double Envelope System) के तहत लाह से सील तकनीकी विड एवं वित्तीय विड अलग-अलग भरेंगे जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से तकनीकी/वित्तीय विड अंकित हो। तकनीकी विड एवं वित्तीय विड दोनों सील लिफाफे को एक साथ एक तीसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को लाह से सील करेंगे और उस पर ऊपर साफ-साफ "त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए अल्पाहार भोजन एवं विडियो ग्राफी, प्रोजेक्टर कार्य हेतु निविदा" तथा अपना नाम पता एवं दूरभाष संख्या आवश्यक रूप से लिखते हुए निविदा जमा करेंगे।
2. निविदा हेतु तकनीकी शर्तों को पूर्ण करने वाले निविदादाताओं का ही वित्तीय विड खोला जायेगा।
3. निविदादाताओं को बिक्री कर (TIN No./CST/BST/JST संख्याधारक) अधिनियम के तहत निर्बंधित एवं वित्तीय वर्ष 2014-2015 तक का रिटर्न दाखिला किया हुआ होना चाहिए।
4. निविदादाताओं को आयकर अधिनियम के तहत निर्बंधित एवं वित्तीय वर्ष 2014-2015 तक का रिटर्न दाखिल किया हुआ होना चाहिए।
5. निविदादाताओं को BLACKLISTED नहीं होना चाहिए।